प्रेषक,

दीप कान्त मणि
अपर प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय संख्या –2,
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

श्रीमान् महा निबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय,
मुजफ्फरनगर।

विषय– श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मुजफ्फरनगर द्वारा वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सन् 2021–22 में की गयी प्रविष्टि के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सन् 2021–22 के टिप्पणी कालम में की गयी प्रविष्टि के औचित्यहीन एवं वास्तविकता से परे होने के कारण उक्त प्रविष्टि के सम्बन्ध में मेरा प्रत्यावेदन निम्नवत है।

1. यह कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट 2021–2022 के टिप्पणी कालम के पैरा 1 में निष्पक्ष रूप से वास्तविक तथ्यों को अंकित नहीं किया गया है। वास्तविक तथ्य यह है कि मेरे द्वारा उक्त घटना से श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय व श्रीमान् जनपद न्यायाधीश मुजफ्फरनगर को सूचित करने के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को पत्र प्रेषित किया गया था। श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश मुजफ्फरनगर ने माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति मुजफ्फरनगर को पत्र प्रेषित करने से पूर्व मुझसे अथवा न्यायालय के पेशकार/रीडर से घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं किया था न ही मेरे द्वारा घटना से सूचित करने पर उन्होंने अपने स्तर से कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए शासकीय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशो का उल्लघन करके कारित घटना व सुरक्षा को लेकर उत्पन्न खतरे के दृष्टिगत कोई प्रशासनिक कार्यवाही किया था। मेरे विरुद्ध कारित आपराधिक घटना एवं घटना की पुनरावृत्ति की धमकी से उत्पन्न खतरे की आशंका के दृष्टिगत अन्तर्गत धारा 154 दं०प्र०सं० के तहत पुलिस को सूचित करने से पूर्व श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश की अनुमति किस प्रकार से आवश्यक है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

जहां तक अधिवक्ता श्री रोबिन सिंह एवं सिविल व जिला बार एसोसिएशन मुजफ्फरनगर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को शिकायती पत्र प्रेषित करने का सम्बन्ध है इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश उक्त तथ्य से किस प्रकार से अवगत है इसे उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय ने अवमानना प्रार्थना पत्र (क्रिमिनल) नं० 6/2021 ईन–री बनाम श्री कलीराम व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 22.03.2022 में मेरे विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं किया है। अधिवक्तागण के न्यायिक कार्यवाही में अनुशासनहीन आचरण द्वारा उत्पन्न किये गये व्यवधान के समय

28/06/22

मैंने कोई मौखिक प्रतिक्रिया नहीं किया था। अधिवक्तागण के मेरे विश्राम कक्ष में आने पर भी उनके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर ही उनका ध्यान आकर्षित कराया था। घटना के समय मैंने अधिवक्तागण से कोई वाद–विवाद भी नहीं किया था, बल्कि जिला व सिविल बार एसोिएशन मुजफ्फरनगर के पदाधिकारीगण द्वारा ही माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर आर्डर सं० 27/एडमिन जी–1 सेक्शन दिनांकित इलाहाबाद 12.12.2008 व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधिक निर्णय **हरीश उप्पल बनाम भारत संघ 2003 SSC45** में दिये गये निर्देशो का उल्लंघन किया गया था। घटना की सत्यता का संक्षिप्त विवरण वाद पत्रावली के आदेश पत्रक अंकित है। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति मुजफ्फरनगर द्वारा उक्त प्रकरण में मेरे विरूद्ध यदि कोई प्रतिकूल टिप्पणी की गयी होती तो उसे अवश्य ही माननीय न्यायालय द्वारा मुझे संसूचित कराया गया होता। माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति द्वारा दी गयी सलाह जो कि निश्चित रूप से मेरे हित व कल्याण के लिए करूणा भाव से ही दी गयी होगी, को टिप्पड़ी के कालम में प्रविष्ट करके मेरे प्रतिकूल परिभाषित करने का प्रयास किया गया है जो पूर्णतया अनुचित है।

2. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के पैरा नं० 2 में अंकित प्रविष्टि मेरे परिवार न्यायालय के कार्यकाल से सम्बन्धित नहीं है अपितु इसका सम्बन्ध मेरे सन् 2020–21 के कार्यकाल में पारित आदेश से है जिसका मूल्यांकन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सन् 2020–2021 द्वारा किया जा चुका है। क्रि०मिस० रिट पिटीशन सं० 3543/2021 डा० हरगोविन्द सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व तीन अन्य में पारित एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांकित 11.05.2021 याची द्वारा न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यों को छिपाकर गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके प्राप्त किया गया था। मेरे द्वारा वास्तविक तथ्यों को उचित माध्यम से माननीय पीठ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, इस तथ्य से श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय मुजफ्फरनगर पूर्णतया अवगत हैं।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में इस आधार पर स्थगन आदेश पारित किया गया था कि तत्कालीन समय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए कोई विधिक कार्यवाही नहीं करने का निर्देश जारी किया गया था। जबकि वास्तविकता यह है कि तत्कालीन समय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का कोई आदेश प्रभाव में नहीं था अपितु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधिक निर्णय **अश्वनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ सिविल रिट पेटिशन सं० 699/2016** में माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि एम.पी./एम.एल.ए. से सम्बन्धित दाण्डिक वादो का त्वरित रूप से एक वर्ष में निस्तारण किया जावे। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश के अनुक्रम में वाद के त्वरित रूप से निस्तारण के दृष्टिगत आरोप के स्तर पर कई वर्षो से अभियुक्त के उपस्थित नहीं होने पर अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 228(2) दं०प्र०सं० में वर्णित प्राविधान के तहत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए आदेशित किया गया था। अभियुक्त ने अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से स्वयं को निवारित करने के लिए तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी सन्त कबीर नगर डॉ हरगोविन्द सिंह के आपसी साजिश से फर्जी कोरोना रिपोर्ट तैयार कराकर वाद की कार्यवाही में दाखिल किया जिसकी जांच उपरान्त उक्त कोरोना रिपोर्ट को फर्जी होना पाया गया था। न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही में फर्जी अभिलेख प्रस्तुत करने के तथ्य के दृष्टिगत न्यायालय द्वारा प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का कारित होना पाये जाने पर विधिक प्राविधान व क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्रथम

/06/22

सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना हेतु आदेशित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त स्थगन आदेश दिनांकित 11.05.2021 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधिक निर्णय **एशियन रिसर्फेसिंग** आफ रोड एजेन्सी **प्राईवेट लिमिटेड व अन्य बनाम सी०बी०आई० क्रि० अपील नं० 1375-1376/2013** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुक्रम में 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के कारण स्वतः निष्प्रभावी हो चुका है।

श्रीमान् प्रधान न्यायाधीश उपरोक्त तथ्यों से भली भांति अवगत है इसके बावजूद किस उद्देश्य व नियति से वास्तविक तथ्यों को नजरअन्दाज करके उनके द्वारा औचित्यहीन तथ्यों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के टिप्पणी कालम में अंकित किया गया है यह प्रशासनिक निष्पक्षता के दृष्टिगत विचारणीय है।

यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 2 के सहायक नियम 201 व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 व 300 ए का उलंघन करके किसी सक्षम आदेश के बगैर मेरे माह मई 2021 के वेतन को रोकने एवं गलत पदनाम, डी.डी.ओ कोड व स्थापना से तैयार 29 दिवस के वेतन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर देने पर श्रीमान प्रधान न्यायाधीश मुझसे व्यक्तिगत नाराजगी रखते रहे थे। उनके इस नाराजगी के कारण 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी मेरे माह मई 2021 के वेतन का भुगतान आज तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

निष्पक्षता व सत्यता का अभाव द्वेष के भाव को प्रकट करता है ऐसे में वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सन् 2021-22 के टिप्पणी कालम में की गयी प्रविष्टियों को अपास्त किया जाना आवश्यक है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि मेरा प्रत्यावेदन सम्यक एवं सद्भावना पूर्वक विचार करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा की जाय और इसी क्रम में मेरा पुनः विनम्र अनुरोध है कि वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के टिप्पणी कालम में उल्लेखित प्रविष्टियों को अपास्त कराने की महति कृपा की जाय।

सादर।

दिनांक 28.06.2022
संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

28/06/22
(दीप कान्त मणि)
अपर प्रधान न्यायाधीश
परिवार न्यायालय संख्या-2
मुजफ्फरनगर।